



## सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

भारत की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (<https://www.persmin.gov.in>) अधिनियमित किया है जो 13 अक्टूबर, 2005 से लागू हुआ है। इस अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए है ताकि इन संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। अधिनियम, धारा 8 और 9 के तहत, सूचना की कुछ श्रेणियों को प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है। अधिनियम में सूचना के अनुरोधों से निपटने के लिए एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान है।

### अधिनियम के तहत डीआईसीजीसी का दायित्व

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित किया गया है। जैसे, डीआईसीजीसी जनता के सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है।

### डीआईसीजीसी से जानकारी प्राप्त करना

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की एक स्थापित संचार नीति है। इसके तहत, डीआईसीजीसी नियमित रूप से सार्वजनिक डोमेन के माध्यम से जमा बीमा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी और डेटा जारी करता है। डीआईसीजीसी द्वारा नियमित रूप से जारी की जाने वाली जानकारी और डेटा इसकी वेबसाइट ([www.dicgc.org.in](http://www.dicgc.org.in)) पर उपलब्ध हैं।

डीआईसीजीसी द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण इस प्रकार है:

### वार्षिक रिपोर्ट

डीआईसीजीसी की वार्षिक रिपोर्ट हर साल जारी होने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट और निगम के तुलन पत्र और लेख हैं। वार्षिक रिपोर्ट डीआईसीजीसी के वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) से संबंधित एक वैधानिक दस्तावेज है और जुलाई/अगस्त में जारी की जाती है।

### ब्रोशर

डीआईसीजीसी पंजीकृत होने पर सभी बैंकों को जमा बीमा पर एक पुस्तिका और एक पोस्टर की एक प्रति अग्रेषित करता है। यह पुस्तिका जमाकर्ता को बैंक में उनकी जमाराशियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में आवश्यक आश्वासन से परिचित कराने के लिए अग्रेषित की जाती है। जमाराशि बीमा पर पुस्तिका जमाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जानी होती है और पोस्टर को प्रत्येक शाखा के परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना है। डीआईसीजीसी एक सक्रिय वेबसाइट (URL: <http://www.dicgc.org.in>) रखता है। निगम द्वारा जारी सभी जानकारी भी एक साथ वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। साइट को नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है। अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने



के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, निगम सार्वजनिक डोमेन में अधिक जानकारी जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

**आरटीआई आवेदन इस पते पर भेजा जा सकता है:**

क्रम संख्या	पद	नाम और पता	दूरभाष
1	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) <a href="mailto:dicgc@rbi.org.in">dicgc@rbi.org.in</a>	श्री मंगेश वाई. सोरते महाप्रबंधक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग (दूसरी मंजिल), मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई - 400 008.	022 – 2306 2160
2	वैकल्पिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) <a href="mailto:dicgc@rbi.org.in">dicgc@rbi.org.in</a>	श्री एन. अरुण विष्णु कुमार निदेशक (ई) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिज़र्व बैंक भवन (द्वितीय तल), मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई - 400 008.	022- (ई) 23019792
3	अपीलीय प्राधिकारी	श्री अनूप कुमार मुख्य महाप्रबंधक/अपीलीय प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम अनुभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिज़र्व बैंक भवन (द्वितीय तल), मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने मुंबई - 400 008.	



## **Right to Information Act - 2005**

The Parliament of India has enacted the Right to Information Act, 2005 (<https://www.persmin.gov.in>) which has come into effect from October 13, 2005. The Right to Information under this Act is meant to give to the citizens of India access to information under control of public authorities to promote transparency and accountability in these organisations. The Act, under Sections 8 and 9, provides for certain categories of information to be exempt from disclosure. The Act also provides for appointment of a Central Public Information Officer to deal with requests for information.

### **DICGC's Obligation under the Act**

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is a public authority as defined in the Right to Information Act, 2005. As such, DICGC is obliged to provide information to members of public.

### **Seeking Information from DICGC**

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has an established communication policy. Under this, DICGC regularly releases information and data on various aspects relating to Deposit Insurance through public domain. The information and data routinely released by the DICGC are available on its website ([www.dicgc.org.in](http://www.dicgc.org.in))

The details of information that is already available from the DICGC are:

#### **Annual Report**

The annual report of the DICGC is the most important document released every year. It is the report of the Board of Directors on the working of the Corporation and on the balance sheet and accounts of the Corporation. The annual report is a statutory document relating to the financial year of DICGC (April to March) and is released in July/August.

#### **Brochures**

DICGC forwards a booklet on deposit insurance and a copy of a poster to all banks when they are registered. The booklet is forwarded to familiarize the depositor with necessary assurance regarding safety and security of their deposit with the bank. The booklet on deposit insurance is to be made available to the depositors and the poster is to be displayed prominently in the premises of every branch. DICGC maintains an active website (URL: <http://www.dicgc.org.in>). All the information released by the Corporation is also simultaneously made available on the website. The site is updated on a regular basis. In keeping with its objective of bringing in greater transparency in its decision-making process, the Corporation is committed to releasing more information in public domain.



RTI application may be sent to:

Sl.No.	Designation	Name and address	Telephone
1	Central Public Information Officer (CPIO) <a href="mailto:dicgc@rbi.org.in">dicgc@rbi.org.in</a>	Shri Mangesh Y. Sorte General Manager Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Reserve Bank of India Building (2nd Floor), Opp. to Mumbai Central Railway Station Mumbai - 400 008.	022 – 2306 2160
2	Alternate Central Public Information Officer (ACPIO) <a href="mailto:dicgc@rbi.org.in">dicgc@rbi.org.in</a>	Shri N. Arun Vishnu Kumar Director (E) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Reserve Bank of India Building (2nd Floor), Opp. to Mumbai Central Railway Station Mumbai - 400 008.	022- 23019792
3	Appellate Authority	Shri Anup Kumar Chief General Manager / Appellate Authority Right to Information Act Section Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Reserve Bank of India Building (2nd Floor), Opp. to Mumbai Central Railway Station Mumbai - 400 008.	